भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1288

<u>दिनांक 25 जुलाई, 2016 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

phu d: lkFk 0;kikj okrk

1288- Mkñ mfnr jkt%

D;k okf.kT; vkj m|kx e=h ;g crkus dh d`ik djsx fd%

(क) क्या चीन की प्रशासनिक एजेंसियों ने तीन प्रमुख क्षेत्रों अर्थात भेषज, कृषि और आईटी सेवाओं जिनमें देश की ठोस ताकत है, में भारत की तीन मांगों का जवाब नहीं दिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में चीन की सरकार के साथ कोई वार्ता की है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या है और यदि नहीं, तो सरकार की इस संबंध में अगली कार्रवाई क्या होगी?

<u>उत्तर</u>

<u>वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)</u>

<u>(श्रीमती निर्मला सीतारमण)</u>

****

(क) से (घ): भारत से चीन को निर्यातों, विशेषकर औषध, कृषि, आईटी सेवाओं आदि जैसे क्षेत्रों में और अधिक बाजार पहुँच प्राप्त करने हेतु भारत चीन के साथ लगातार सम्बंध बनाए हुए है। भारतीय उत्पादों के लिए पंजीकरण, निरीक्षण एवं अनुमोदन से संबंधित चीनी प्रक्रियाओं में भारत ने नियमित रूप से सरलीकरण करने एवं अधिक पारदर्शिता लाने की माँग की है।

औषध, कृषि उत्पादों एवं आईटी सेवाओं जैसे भारतीय उत्पादों के लिए बाजार पहुँच के मुद्दे पर दोनों देशों के नेतृत्व के उच्चतम स्तर पर विचार-विमर्श किया गया।

17 से 19 सितंबर, 2014 को चीन जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति, श्री शी जिनपिंग के भारत दौरे के दौरान, औषध प्रशासन एवं सहयोग की कार्य योजना पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत गणराज्य और चाइना खाद्य एवं औषध औषध प्रशासन, चीन जनवादी गणराज्य के बीच हस्ताक्षर किये गये थे। इस कार्य योजना में दोनों पक्षों के बीच औषध मानकों, परम्परागत दवाई एवं औषध जॉच आदि के क्षेत्रों में सहयोग की परिकल्पना है।

तीसरे भारत-चीन कार्यनीतिक आर्थिक संवाद (एसईडी) के दौरान, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत गणराज्य और उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, चीन चीन जनवादी गणराज्य के बीच सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये थे। आईसीटी में सहयोग पर सूचना एवं

संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक 14-18 दिसंबर, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

मई 2015 में माननीय प्रधानमंत्री के चीन दौरे के दौरान जारी किये गए संयुक्त वक्तव्य में यह कहा गया कि "दोनों पक्षों ने विषम द्विपक्षीय व्यापार का शमन करने करने के लिए संयुक्त उपाय करने का संकल्प किया है जिससे कि इसमें स्थिरता प्राप्त की जा सके। ऐसे उपायों में पंजीकरण, दो-तरफा व्यापार के लिए कृषि उत्पादों पर त्वरित पादप स्वच्छता वार्ता सहित औषधीय पर्यवेक्षण पर सहयोग, भारतीय आईटी कम्पनियों एवं चीन के उद्यमों के बीच मजबूत संबंध, और पर्यटन, फिल्मों, स्वास्थ्य देखभाल, आईटी एवं संचारतंत्र में बढ़ता हुआ सेवा व्यापार शामिल है। "

बीजिंग में 17 सितंबर 2015 को, मुख्य निरीक्षक, चीनी सामान्य प्रशासन गुणवत्ता पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं संगरोध (एक्यूएसआईक्यू) के साथ बैठक के दौरान, वाणिज्य सचिव ने भारतीय कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुँच हेतु लंबित अनुरोधों पर समयोचित निकासी का अनुरोध किया है। वाणिज्य सचिव ने 17 सितंबर, 2015 को उप-मंत्री, उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईआईटी), चीन के साथ मुलाकात की और आईटी एवं आईटी सेवा समर्थकारी मुद्दों पर विचार–विमर्श किया। इस यात्रा के दौरान, उनकी चीन के उपमंत्री, वाणिज्य मंत्रालय के साथ भी एक बैठक हुई, जिसमें औषध, कृषि उत्पादों एवं आईटी सेवाओं पर बाजार पहुँच के मुद्दों पर फिर से विचार किया गया।

भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद के आमंत्रण पर चीन को निर्यातों को सक्षम बनाने के लिए भारतीय फिश मील/फिश आयल की निगरानी और नियंत्रण प्रणाली के क्षेत्र सत्यापन के लिए एक्यूएसआईक्यू से एक विशेषज्ञ प्रतिनिधिमण्डल ने सितंबर 2015 को भारत का दौरा किया।

भारत-चीन संयुक्त आर्थिक दल (जेईजी) तंत्र के तहत, आईटी/आईटीईएस एवं अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सेवा व्यापार पर एक संयुक्त कार्य दल का गठन किया गया था। 23 अक्टूबर, 2015 को नई दिल्ली में सेवा व्यापार पर संयुक्त कार्य दल की दूसरी बैठक आयोजित की गई थी।

***